प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01750/2022-2023 दिनांक 19/10/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/GBN/12054/2022-2023 पत्रावली संख्या:64094-M दिनांक:2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **एम0एस0 शिक्षा समिति, ग्राम चिपियाना बुजुर्ग, निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0, गौतम बुध्द नगर, 201009** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 904 दिनांक-30/08/2017 को दिनांक-30/08/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(Varun Khare)
1437D6B6568A1D3C596B909221411C9082D8FA70
Date: 19/10/2022 1:21:28 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-19/10/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Chhaya

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

प्रबन्धक
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

प्रमाणपत्र क्रमांक

प्रारूप –8

037128

नियम 7(2) देखिये

संख्या 3641

दिनांक 30-8-17

सोसाइटीज तथा चिट्स निबन्धक कार्य मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश सरकार

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या 904 पत्रावली संख्या 64094–एम दिनांक 2017-2018

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि* एम०एस० शिक्षा समिति, ग्राम–चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुआँ, जिला–गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०).................को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह प्रमाण–पत्र 29-08-2022............ तक विधि मान्य होगा ।

आज दिनांक 30-08.............दो हजार ....को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

*सोसाइटी का नाम, पता

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

प्रबन्धक
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

(स्मृति-पत्र)

1. संस्था का नाम : एम0एस0 शिक्षा समिति।

2. संस्था का पता : ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुआँ, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।

3 संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त मेरठ मण्डल होगा।

4. संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. समिति का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों सामान्य, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति-जनजाति के उपेक्षित एवं गरीब और आर्थिक स्तर पर कमजोर, बेसहारा वर्ग के विकासोन्मुख हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
2. प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्कूल, कॉलिजों, कम्प्यूटर शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना। पुस्तकालय, वाचनालय, कम्यूनिटि सेन्टर की स्थापना करना।
3. समाज के विकास हेतु धार्मिक, चैरिटेबल कार्यो का संचालन करना।
4. पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने हेतु जनता को जागरूक करने के उपाय सुझाना एंव वृक्षारोपण निःशुल्क कार्यक्रम आदि का संचालन करना।
5. स्वच्छ, हरियाली, परिवार नियोजन एंव रोजगार युक्त, नशा, झगड़ा, कुरीतियो के प्रति समाज को शिक्षित कर उन्हें दूर करना।
6. महिलाओं को आत्म-निर्भर एंव स्वावलंबी बनाने हेतु निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुल्टिंग, ब्यूटिशियन, डांस, पेन्टिंग, संगीत, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षण देना।
7. ग्रामीण तथा शहरी विकास हेतु स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, जल संरक्षण एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार व संचालन करना।
8. सामाजिक उत्थान हेतु वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, अनाथालय, पुस्तकालय, वाचनालय का प्रबन्धसंचालन करना।
9. समाज के हित में चिकित्सा शिविरो का आयोजन करना। निराश्रित एंव निःसहाय लोगो की चिकित्सा की व्यवस्था करना। चैरिटेबल अस्पताल का संचालन करना है।
10. समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे बाल मजदूरी, नशीले पदार्थ एंव शराब, दहेज प्रथा आदि को रोकने का प्रयास करना।
11. सामाजिक विकास के हर क्षेत्र में सहयोग देना व आवश्यक कार्यो का संचालन करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।
15-9-17

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

प्रबन्धक
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल

12. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक विकास हेतु सरकारी योजनाओं में सहायता करना। मीड-डे मिल एंव अन्य सामाजिक विकास कार्यक्रमों में सहयोग देना।

13. जाति धर्म व भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष वैमनस्य की भावना को दूर कर धार्मिक एंव राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।

14. देश में अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जनसंख्या के प्रति समाज को जागरूक करना।

15. एड्स व अन्य लाईलाज रोगो के प्रति समाज को जागरूक करना व इससे बचाव हेतु सभी आवश्यक कार्यक्रमो का संचालन करना।

दिनॉक :- 2017

हस्ताक्षर :-

सत्य प्रतिलिपि

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

प्रबन्धक
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AD 451716

यह जनरल स्टाम्प पेपर एम० एस० शिक्षा समिति
ग्रा० चीपियाना बुजुर्ग मीकू लाल कुंआ,
जिला गौतम बुद्ध नगर पत्रावली सं० 640946 (र)
स्मृति पत्र संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

15-8-12

(3)

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

प्रबन्धक
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

क्रमांक .... 36 —— 4

14/8/2017

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AD 451715

यह जनरल स्टाम्प पेपर एम० एस० शिक्षा समिति ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुआँ जिला गौतमबुद्धनगर पंजीकरण सं० 64094(म)
........नियमावली........ संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक / सम्पादक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

15-6-17

(4)

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

प्रबन्धक
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

35 — 21

[illegible]

14/8/2017

(संशोधित नियमावली)

1. संस्था का नाम : एम0एस0 शिक्षा समिति।

2. संस्था का पता : ग्राम विपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त मेरठ मण्डल होगा।

4. संस्था के उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य स्मृति पत्र के अनुसार रहेगें।

5. संस्था की सदस्यता एंव सदस्यो के वर्ग :-

(क)- सदस्यता :-

ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष या अधिक आयु का हो, नैतिक एवं सर्वोदय विचार वाला हो, जो दिवालिया, पागल व कोढी न हो, संस्था के उद्देश्यो के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

(ख)- सदस्यो के वर्ग :-

अ.	संरक्षक सदस्य	ब.	आजीवन सदस्य
स.	साधारण सदस्य	द.	सहयोगी सदस्य
य.	मनोनित सदस्य		

(अ)- संरक्षक सदस्य-

जो सज्जन क्रमाक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये संस्था को एक मुश्त रू0-2100/-नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, संरक्षक सदस्य कहलायेगा।

(ब)- आजीवन सदस्य-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये संस्था को एक मुश्त 1100/- रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

(स)- साधारण सदस्य-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये संस्था को एक मुश्त 500/- रू0 वार्षिक नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।

(द)- सहयोगी सदस्य-

जो सज्जन क्रमांक 5 (क) के अनुसार योग्यता रखते हुये संस्था को एक मुश्त 251/- रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सहयोगी सदस्य कहलायेगा।

निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ मण्डल, मेरठ (उ0प्र0) सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
04-7-22

Pawan 3) पवन 2) Deepak 4) चारू

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल

प्रबन्धक
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल

(य)- <u>मनोनीत सदस्य :-</u>

कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 5 (क) के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति, संस्था के हित में उसकी विशेष आवश्यकता महसूस करती हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी समिति 3 वर्ष की अवधि के लिये अपने तीन-चौथाई बहुमत से मनोनीत कर सकतीं है। ऐसे सदस्यों की संख्या एक समय में अधिक से अधिक चार होगी तथा ऐसे सदस्यो को प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव में मताधिकार नही होगा।

6. <u>सदस्यता की समाप्ति :-</u>

1. सदस्य द्वारा स्वयं त्याग पत्र दिये जाने पर।
2. सदस्य की मृत्यु होने पर।
3. सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम पाये जाने पर।
4. सदस्य द्वारा स्वयं संस्था विरोधी कार्य करते हुये पकडे जाने पर।
5. सदस्यता शुल्क समय पर न अदा करने पर।
6. न्यायालय द्वारा सजा दिये जाने पर अथवा दिवालिया होने पर।
7. सदस्य के किसी असामाजिक कृत्य में लिप्त पाये जानेपर।
8. आचरण भ्रष्ट/पागल होने पर।
9. यदि कोई सदस्य कार्यकारिणी समिति की लगातार तीन बैठको में बिना किसी वैध कारण से अनुपस्थिति रहा है, तो उसकी प्रबन्धकारिणी समिति की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. <u>संस्था के अंग :-</u>

क- साधारण सभा।

ख- प्रबधंकारिणी समिति।

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
सत्यमेव जयते
मेरठ मण्डल, मेरठ (उ0प्र0)

8. <u>साधारण सभा का विस्तृत रूप :-</u>

क- <u>गठन :-</u>

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर बनाया गया समूह साधारण सभा कहलायेगी।

ख- <u>बैठक :-</u>

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जा सकती है।

ग- <u>सूचना :-</u>

साधारण सभा की सामान्य बैठक के लिए सूचना कम से 7 दिन पूर्व डाक, स्पेशल मैसेन्जर, फोन, एस.एम.एस. ई-मेल, सोशन नेटवर्किंग तथा विशेष बैठक् के लिए सूचना 24 घण्टे पूर्व मैसेन्जर अथवा दस्ती के द्वारा अध्यक्ष के हस्ताक्षरित पत्र द्वारा दी जायेगी।

घ- <u>कोरम :-</u>

साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

1) [signature] 3) पंकज

सत्य प्रतिलिपि
[signature]
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल

ङ- वार्षिक अधिवेशन :-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा, जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

च- साधारण सभा के अधिकार एंव कर्त्तव्य :-

1- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।

2- आय-व्यय बजट पास करना।

3- नियमों-विनियमों में संशोधन एवं परिर्वतन 2/3 बहुमत से करना व संस्था की निति निर्धारित करना।

4- प्रबन्धसमिति तथा साधारण सभा की संयुक्त बैठक में सदस्यो के बहुमत से किसी सदस्य या पदाधिकारी के दोषी सिद्ध होने पर उसके विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव पारित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही करना एवं अन्तिम निर्णय लेना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :-

क- गठन :-

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा, जिसमें कम से कम 7 एंव अधिकतम 11 होगी। सदस्यो की संख्या घट या बढ सकती है।

ख- बैठक :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशानुसार बुलाई जा सकती है।

ग- सूचना :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक के लिये सूचना 7 दिन पूर्व डाक द्वारा तथा विशेष बैठक के लिये सूचना 24 घंटे पूर्व स्पेशल मैसेन्जर दस्ती अध्यक्ष द्वारा दी जायेगी।

घ- कोरम :-

प्रबन्धकारिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ङ- कार्यकाल :-

गठन की तिथि से पांच वर्ष का होगा।

च- रिक्त स्थान की पूर्ति :-

प्रबन्धंकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति शेष समय के लिये साधारण सभा द्वारा अपने सदस्यो में से 2/3 बहुमत द्वारा की जायेगी।

निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स मेरठ

प्रधानाचार्य

एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल

प्रबन्धक

छ- प्रबन्धकारिणी के अधिकार एंव कर्त्तव्य :-

1. संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन करना।
2. संस्था के उचित प्रबन्ध एवं संचालन हेतु कर्मचारियो, अधिकारीयो की नियुक्ति करना।
3. आय-व्यय बजट तैयार कराना।
4. संस्था किसी भी नाम से विद्यालय का संचालन कर सकती है।
6. संस्था के उद्येश्यो की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल-अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतो से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो के अधिकार एंव कर्त्तव्य :-

संस्थापक :- संस्था के पदा0/सदस्यो के संस्था के विकास हेतु देना व समिति की उन्नति हेतु निति निधारित करना।

अध्यक्ष :-

1. समिति की आम तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठको की अध्यक्षता करना।
2. बैठक करने के लिए दिनांक का अनुमोदन करना और बैठक को स्थगित करना व इस बात का ध्यान रखना कि बैठक की कार्यवाही समस्त सदस्यों द्वारा निष्ठा अनुशासन के साथ कार्यान्वित की जाए।
3. समिति के उद्देश्यो की पूर्ति करना जिससे संस्था प्रगति की और अग्रसर होना।
4. संस्था के समस्त वाउचरो, अनुबन्धो, अभिलेखो पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित करना।
5. अध्यक्ष को संस्था के विकास कार्यो के संचालन हेतु 5,000/-रूपये स्वंय विवेक से खर्च करने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष :-

1. संस्था के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा संस्था की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा कर्त्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उन्हे लिखित रूप में प्रतिनिहित किये गये हो।

प्रबन्धक :-

1. संस्था के अभिलेखो का रख-रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण करना। लेखा/कार्यवाही को संचालित करना तथा लेखा परीक्षा का प्रबन्ध करना।
2. संस्था के अर्न्तगत संचालित ईकाइयों आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार के संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
3. संस्था के हित में हित का कार्य भी प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा करना।
4. संस्था के उद्येश्यो की पूर्ति हेतु दान-अनुदान, चन्दा, ऋण, बन्धक, चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयो, विभागो, बैक आदि से सम्पर्क करना।

सत्य प्रतिलिपि

5. संस्था के द्वारा संचालित, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियो की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।

6. संस्था के सदस्य/कर्मचारी के त्याग-पत्र की संस्तुति करना।

7. वार्षिक बजट प्रस्ताव तैयार करना और समिति के समक्ष रखने के लिये अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

8. अध्यक्ष की स्वीकृति से समिति की बैठक को बुलाना तथा पत्र व्यवहार करना।

9. आगामी योजनाओं/कार्यक्रमो आदि का प्रारूप तैयार करना तथा उन्हे अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

10. समिति की सभी बैठको में भाग लेना तथा सारी कार्यवाहीयो को सुरक्षित रखना।

11. समिति के हितार्थ आवश्यक सामग्री/साहित्य आदि का प्रकाशन करना व प्रचार-प्रसार करना।

12. आकस्मिक व्यय के लिये 10,000/-रूपये नकद रख सकेगा और व्यय कर सकेगा।

उपप्रबन्धक :-

ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा कर्त्तव्यों का पालन करना जो प्रबन्धक द्वारा उन्हे लिखित रूप में प्रतिनिहित किये गये हो।

कोषाध्यक्ष :-

1. संस्था की समस्त विधियों और धनराशियों के लेख और आय-व्यय का हिसाब किताब रखना।

2. संस्था के आय-व्यय की रिर्पोट एंव बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।

3. प्राधिकृत लेखा परीक्षण द्वारा लेखा परीक्षा के लिए सभी लेख, रसीद आदि जो भी लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक हो प्रस्तुत करना।

4. वर्ष के अन्त में साधारण सभा की बैठक में अपनी आय-व्यय की रिपोर्ट स्वीकृति के लिये रखना।

5. अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के द्वारा सौपे गये कार्य करना।

11. नियमों में परिर्वतन :-

संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में 2/3 बहुमत से पूर्ण होने पर ही किसी प्रकार का संशोधन/परिर्वतन मान्य होगा।

12. संस्था का कोष :-

संस्था का कोष किसी भी प्राईवेट/राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम खाता खोलकर रखा जायेगा, खाते का संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा होगा।

13. आय-व्यय का परीक्षण या आडिट :-

संस्था के आय-व्यय का वार्षिक ऑडिट मनोनीत सदस्य द्वारा कराया गया ऑडिट ही मान्य होगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14. कानूनी कार्यवाही :-

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही प्रबन्धक के संचालन में अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा होगीं।

1) Pawan 3) पंकज

सत्य प्रतिलिपि

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल

प्रबन्धक

15. <u>संस्था के अभिलेख</u> :-

सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश-बुक, डाक पंजिका आदि जो आवश्यक हो रखे जायेगें।

16. <u>संस्था का विघटन</u> :-

संस्था का विघटन और सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13-14 के अर्न्तगत की जायेगी।

<u>अनुबन्धक</u>-

1- विधालय का पंजीकरण सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।

2- विधालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगां।

3- विधालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षां परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विधालयों में विभन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगां।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही कि जाएगी यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विधालय का सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परिक्षा परिषदों की सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विधालय के शिक्षण/शिक्षोणत्तर कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा भत्ते प्राप्त वेतनमान तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विधालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश जों निंगत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगीं।

8- विधालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही हैं। तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेंगी।

9- विधालय का रिकार्ड निधारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।

10- उक्त शर्तो के बिना राज्य सरकार की पुर्वानुमोदन के कोई परिर्वतन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

दिनांक 2022

<u>सत्यप्रतिलिपि।</u>

निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ मण्डल, मेरठ
सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि
लिपिक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ
04-7-22

1) Pawan

3) पंकज

2) Deepak

4)

प्रधानाचार्य

प्रबन्धक
... पब्लिक जूनियर हाई स्कूल

रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स * सदर मण्डल, मेरठ (उ०प्र०) *

सत्यमेव जयते

(6)

I-64094-एम०

एम० एस० शिक्षा समिति [illegible]

संशोधित

09/7/2022

मानचित्र

एम0एस0 शिक्षा समिति
ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0
की प्रबन्धकमैटी की सूची वर्ष :- 2021-2022

क्रम.सं.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री शिव कुमार पुत्र श्री भगत सिंह	ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।	संस्थापक	कृषि
2.	श्री राहूल शर्मा पुत्र श्री शिव दयाल शर्मा	ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।	अध्यक्ष	नौकरी
3.	दीपक पुत्र श्री सेंसरपाल	ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।	उपाध्यक्ष	व्यापार
4.	श्री पवन कुमार चौधरी पुत्र श्री शिव कुमार	ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।	प्रबन्धक	नौकरी
5.	श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 श्री हुकम सिंह	ग्राम भटीपुरा, तहसील मवाना जिला मेरठ उ0प्र0।	उपप्रबन्धक	कृषि
6.	श्रीमती चारू पत्नी श्री पंकज चौधरी	ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।	कोषाध्यक्ष	गृहणी
7.	श्रीमती निशि चौधरी पत्नी श्री पवन चौधरी	ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।	सदस्य	गृहणी
8.	श्री पंकज पुत्र श्री शिव कुमार चौधरी	राकेश मार्ग जिला गाजियाबाद उ0प्र0।	सदस्य	व्यापार
9.	श्रीमती शिमला पत्नी श्री शिव कुमार	ग्राम चिपियाना बुजुर्ग निकट लाल कुऑं, जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0।	सदस्य	गृहणी
10.	श्रीमती लक्ष्मी सिरोही पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह	ग्राम हरोड़ा तहसील गढ़मुक्तेश्वर जिला हापुड़ उ0प्र0।	सदस्य	गृहणी

सत्य प्रतिलिपि

प्रबन्धक
एम.एस. शिक्षा समिति
चिपियाना बुजुर्ग-गौतम बुद्ध नगर

प्रधानाचार्य
एम.एस. पब्लिक जूनियर हाई स्कूल

प्रबन्धक

प्रधान सहायक / अभिलेखपाल
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स उ0प्र0

सत्यमेव जयते

मेरठ क्षेत्र, मेरठ

64094 - M

[illegible] ... कृष्ण एजू0 शिक्षा समिति,

संस्था का नाम ... गौतमबुद्धनगर

...

[illegible] ... X ...

[illegible] ... X ...

प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष ... 2021 - 2022

आज दिनांक ... 18-12-2021 ...

को सन 1860 के अधिनियम के अन्तर्गत

पंजीकृत की गई है।

निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

मेरठ मण्डल, मेरठ (उ0प्र0)